

## प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़ दिनांक – 01.10.2020

थानाक्षेत्र कोहड़ौर व पट्टी से लूट/डकैती/चोरी/नकबजनी करने वाले 02 गैंग के पंजीकरण की कार्यवाही की गई—

जनपद के थाना कोहड़ौर से लूट/डकैती करने वाले 01 गैंग व थाना पट्टी से चोरी/नकबजनी करने वाले 01 गैंग के गैंग लीडर व अन्य सदस्यों की आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम व निगरानी हेतु गैंग पंजीकरण की कार्यवाही की गई है।

गैंग नं0 डी-42 (लूट एवं डकैती से सम्बन्धित गैंग) थाना कोहड़ौर—

गैंग लीडर— मुकेश सरोज पुत्र सतई राम नि0 लाखीपुर थाना कोहड़ौर जनपद प्रतापगढ़।

गैंग के सदस्य—

01. लालू प्रसाद सरोज उर्फ सिद्धार्थ पुत्र रामकुमार सरोज नि0 त्रिलोकपुर मठिया थाना कोहड़ौर जनपद प्रतापगढ़।
02. नीरज कुमार गौतम पुत्र रामकुमार नि0 परसरामपुर थाना कोहड़ौर जनपद प्रतापगढ़।
03. सुभम सरोज पुत्र सुरेश सरोज नि0 पूरे सेई थाना कोहड़ौर जनपद प्रतापगढ़।
04. राहुल वर्मा पुत्र स्व0 अमर राज वर्मा नि0 सराय शंकर थाना कोहड़ौर जनपद प्रतापगढ़।
05. मो0 साहिल पुत्र मो0 सलीम नि0 मदुरा रानीगंज थाना कोहड़ौर जनपद प्रतापगढ़।

गैंग नं0 डी-43 (चोरी व नकबजनी से सम्बन्धित गैंग) थाना पट्टी—

गैंग लीडर— पप्पू उर्फ प्यारेलाल पुत्र गिरधारी हरिजन नि0 नरवारी थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

गैंग के सदस्य—

01. अरूण पुत्र राम सहाय नि0 बरचउली थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।
02. मग्गू उर्फ मदन मोहन पुत्र चिखुरी नि0 नरवारी थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।
03. डब्लू सिंह पुत्र राम अंजोर हरिजन नरवारी थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।
04. इन्दल उर्फ नाटू पुत्र दूधनाथ हरिजन नि0 गोठवा थाना महाराजगंज जनपद जौनपुर।
05. राकेश हरिजन पुत्र राजपति नि0 बैजलपुर थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।
06. दिनेश हरिजन पुत्र छटकन हरिजन नि0 गोठवा थाना महाराजगंज जनपद जौनपुर।
07. जयसिंह पुत्र विजय प्रसाद हरिजन नि0 गोठवा थाना महाराजगंज जनपद जौनपुर।

## पुलिस की तत्परता से गुमशुदा हुई 02 नाबालिक लड़कियां बरामद –

दिनांक 28.09.2020 को वादिनी श्रीमती फूलकली पत्नी बिहारीलाल नि० तिरछा थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ द्वारा थाने पर सूचना दी गई कि उनकी दो नाबालिक लड़कियां उम्र करीब क्रमशः 15 वर्ष व 14 वर्ष घर से दोपहर से गायब हैं जिनकी काफी खोजबीन की गई किन्तु वह कहीं नहीं मिली। इस सूचना पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 326/20 धारा 363 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

**पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री अनुराग आर्य** द्वारा उक्त प्रकरण को संज्ञान में लेते हुये थाना प्रभारी महेशगंज को दोनो लड़कियों की सकुशल बरामदगी हेतु कड़े निर्देश दिये गये। दिये गये निर्देश के क्रम में स्थानीय पुलिस द्वारा उक्त गायब हुई लड़कियों की खोजबीन की जाने लगी, विवेचना के क्रम में पूछताछ, साक्ष्य संकलन व आधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हुये यह ज्ञात हुआ कि उक्त दोनो लड़कियां मुम्बई में है। इस पर त्वरित कार्यवाही करते हुये थाना महेशगंज पुलिस गायब लड़कियों के परिजन को साथ लेकर मुम्बई पहुंची व लड़कियों की सकुशल बरामद कर वापस घर ले आयी। पूछताछ में दोनो लड़कियों द्वारा बताया गया कि हम लोग स्वेच्छा से घर में किसी को बिना बताये मुम्बई चले गये थे।

## सोशल मीडिया पर मा० कैबिनेट मंत्री श्री मोती सिंह पर अभद्र टिप्पणी करने वाले 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद प्रतापगढ़ के थाना आसपुर देवसरा अन्तर्गत ग्राम धरौली के कुछ व्यक्तियों द्वारा एक ग्रुप बनाकर सोशल मीडिया पर मा० कैबिनेट मंत्री श्री मोती सिंह के ऊपर आये दिन अभद्र टिप्पणी की जा रही थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 29.09.2020 को थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 288/20 धारा 153, 504, 505 भादवि व 66 आईटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

उक्त अभियोग में कार्यवाही के दौरान आज दिनांक 01.10.2020 को थाना आसपुर देवसरा के प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील कुमार सिंह मय हमराह द्वारा उक्त अभियोग से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों 01. अखिलेश यादव पुत्र अर्जुन यादव 02. राजेश यादव पुत्र स्व० बट्टी प्रसाद यादव नि०गण धरौली थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र आसपुर देवसरा के धरौली से गिरफ्तार किया गया।

दिनांक— 01.10.2020